

राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

क्रमांक :- प.1(1)कार्मिक/निजी चिकि./2012/610

दिनांक :- 14/5/12

कार्यालय आदेश

राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड चिकित्सा विनियम-1970 के अन्तर्गत राजस्थान हाऊसिंग बोर्ड के समस्त अधिकारियों/कर्मचारियों की चिकित्सा सुविधा में विस्तार करते हुए निम्नलिखित निजी चिकित्सालयों को मण्डल द्वारा निर्धारित सामान्य शर्तों के साथ चिकित्सा उपयोग हेतु मान्यता प्रदान की जाती है। निम्न चिकित्सालयों द्वारा मण्डल कार्मिकों को कुल देय चिकित्सा बिलों पर 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जावेगी :-

क्र.स.	चिकित्सालय का नाम एवं पता	दूरभाष/मोबाईल नम्बर
1	रॉयल आई केयर एण्ड रिसर्च सेन्टर, बी-15, गोविन्द मार्ग, आईस फैक्ट्री के सामने, आदर्श नगर, जयपुर।	0141-2610937
2	जिन्दल आई हॉस्पिटल, 10/62, चित्रकूट स्कीम, स्टेडियम के सामने, वैशाली नगर, जयपुर।	0141-2440411

उक्त आदेशों को माननीय अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है तथा बोर्ड से अनुमोदन की पूर्व अपेक्षा में जारी किया जाता है।

सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/मुख्य अभियन्ता, रा.आ.मण्डल, जयपुर।
2. निजी सचिव-सचिव/वि.स. एवं मु.ले.अ., राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर/जोधपुर।
4. उप आवासन आयुक्त वृत्त-..... राजस्थान आवासन मण्डल,
5. आवासीय अभियन्ता खण्ड-, राजस्थान आवासन मण्डल,
6. संबंधित निजी चिकित्सालय.....
7. समस्त प्रकोष्ठ (मुख्यालय)राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
8. नोटिस बोर्ड/रक्षित पत्रावली।

सचिव